राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 576/2014

कैलाश रतन मोदी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मेकेनिकल संभाग, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.07.2014
आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री आर.के. निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर तकनीकी उप संभाग–1, पीडब्लयूडी, बीकानेर में कार्यरत थे। अपीलार्थी दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृत हो गये। अपीलार्थी ने अपनी बीमारी के कारण 15 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के साथ–साथ परिवर्तित अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं होने पर अपीलार्थी ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी ने दिनांक 11.06.2014 को राजस्थान राज्य के सुगम पोर्टल पर भी आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे क्रमांक 061400680131 पर पंजीकृत किया गया। आवेदन प्राप्ति की सूचना भी अपीलार्थी के मोबाइल पर दी गई तथा बताया गया कि उसे संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। इसके बाद दिनांक 13.06.2014 को अपीलार्थी के मोबाइल पर भी संदेश प्राप्त हुआ कि आपका मामला झूठा है। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि उपरोक्त छुट्टी पहले ही स्वीकृत हो चुकी है और स्वीकति संख्या और तारीख भी संदेश पर सूचित कर दी गई है (अनुलग्नक–1 व 2)। अपीलार्थी द्वारा उठाए गए शिकायत/परिवाद के कार्यवाही कॉलम में, यह कहा गया था कि 03.03.2014 से 28.03.2014 तक परिवर्तित छुट्टियां पहले पत्र संख्या 112–115 दिनांक 20.05.2014 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और अधिशाषी अभियंता (तकनीकी) पीडब्ल्यूडी

संभाग, बीकानेर द्वारा पत्र संख्या 116 दिनांक 26.05.2014 द्वारा दिनांक 29.04.2014 से दिनांक 30.04.2014 तक की छुट्टिया भी स्वीकृत की गई है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी की छुट्टिया सुगम पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत की गई है परंतु अपीलार्थी को आज तक विभाग द्वारा उल्लेखित स्वीकृत पत्र की प्रति प्राप्त नहीं हुई है और न ही प्रत्यर्थी संख्या 3 के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और इस प्रकार अपीलार्थी ने दिनांक 14.06.2014 को मुख्यमंत्री कार्यालय में फिर से अपील दायर की है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी के अवकाश स्वीकृति की प्रति जारी न करने अथवा उपलब्ध न कराने के कारण अपीलार्थी आहरण एवं वितरण अधिकारी होने के बावजूद राशि आहरित नहीं कर पा रहा है एवं दिनांक 01.07.2014 से अपीलार्थी के वेतन वृद्धि आदेश जारी करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। अपीलार्थी ने प्रतिवादी नंबर 3 से परिवर्तित अवकाश या नकदीकरण अवकाश की जारी मंजूरी की एक प्रदान करने का फिर से अनुरोध किया, लेकिन अपीलार्थी को कोई जवाब नहीं दिया गया और इस प्रकार अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के जरिये न्याय की मांग के लिए एक नोटिस दिनांक 26.06.2014 को भेजा गया (अनुलग्नक–5)।

अतः अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निदेश दिए जावे कि अपीलार्थी को समर्पित अवकाश के बदले अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति आदेश की स्वीकृति आदेश की प्रति प्रदान कराने और अपीलार्थी को समर्पित अवकाश नकदीकरण राशि का एवं Commuted Leave अवधि का भुगतान कराया जावे तथा सभी परिणामी लाभों के सात 1 जुलाई 2014 से अपीलार्थी के वेतन वृद्धि आदेश जारी करने के निर्देश दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का बीमारी का अवकाश व 15 दिवस का उपार्जित अवकाश प्रस्तुत किया गया, स्वीकार्य है। परिवर्तित व समर्पित अवकाश अधिशाषी अभियंता के कार्यालय आदेश क्रमशः दिनांक 20.05.2014 व दिनांक 26.05.2014 के द्वारा स्वीकृत किया गया था। (अनुलग्नक–1 व 2) अपीलार्थी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि अवकाश स्वीकृत किये जाने पर प्रत्यर्थी विभाग ने उनके मोबाईल पर दिनांक 13.06.2014 को उपरोक्त अवकाश स्वीकृति के आदेश दिनांक 20.05.2014 एवं 26.05.2014 से अवगत कराया। अपीलार्थी स्वयं आहरण एवं वितरण अधिकारी था जबकि कोष कार्यालय से अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अवधि का वेतन आहरण कर लिया गया था। अपीलार्थी की वेतन वृद्धि विचाराधीन थी। अपीलार्थी का अवकाश स्वीकृत किया जा चुका था और वेतन भी आहरण कर लिया गया था, अतः शिकायत झूठी होना स्वाभाविक है। वर्णित अवधि का वेतन अपीलार्थी द्वारा आहरण करने के कारण प्रत्यर्थी विभाग ने प्रत्यर्थी संख्या 3 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की। मुख्यमंत्री को दिनांक 14.06.2014 को

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा वर्णित अवधि का अवकाश स्वीकृत किया जा चुका था। अपीलार्थी द्वारा वेतन आहरण भी कर लिया गया था। अपीलार्थी दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृत हो चुका है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा उसके दिनांक 03.03.2014 से 28.03.2014 तक के स्वीकृत चिकित्सा अवकाश वर्ष 2014–15 के 15 दिवस के समर्पित अवकाश के नकदीकरण की मंजूरी की प्रति प्रदान कराने एवं साथ ही इसका भुगतान किए जाने का अनुतोष चाहा है और अपीलार्थी को 1 जुलाई 2014 से वार्षिक वेतन वृद्धि व परिणामिक परिलाभों के स्वीकृत किए जाने एवं दोषी अधिकारी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अनुशासनात्मक कार्यवाही को निवेदन किया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 03.03.2014 से दिनांक 28.03.2014 का चिकित्सा अवकाश और वर्ष 2014–15 के 15 दिन के समर्पित अवकाश के भुगतान के बदले नकद स्वीकृतियां जारी की जाकर इसके तहत देय भुगतान और दिनांक 01.07.2014 से नियमित वेतन वृद्धि चाही गयी है। राज्य सरकार के सुगम पोर्टल पर दर्ज परिवाद में विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार उक्त दोनों स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। यद्यपि ऐसी कोई स्वीकृति का प्रस्तुत जवाब में उल्लेख करने के बावजूद पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रकरण के तथ्यों के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दोनों जारी स्वीकृतियों की प्रतियां निर्णय के 3 सप्ताह की अवधि में प्रत्यर्थी को उपलब्ध करायी जाने और नियमानुसार बकाया भुगतान और वेतन वृद्वियां स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही निर्णय से एक माह की अवधि में संपादित की जाकर अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक परिलाभ मय 6 प्रतिशत ब्याज प्रदान किए जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)